फा. सं. 15-02/जीए/2016-एफ.एस.एस.ए.आई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था)

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

एफ. डी. ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

---

17 जनवरी, 2017

विषय : दिनांक 26 मई, 2016 को आयोजित प्राधिकरण की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 20 दिसंबर, 2016 को आयोजित 22वीं बैठक में दिनांक 26 मई, 2016 को एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में आयोजित अपनी 21वीं बैठक के कार्यवृत्त को अपनाया।

2. तदनुसार प्राधिकरण की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

हस्ता/-

(सुमेर सिंह मीणा)

सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)

अनुलग्नक:

खाद्य प्राधिकरण की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त (12 पृष्ठ)

दिनांक 26 मई, 2016 को एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में 1030 बजे आयोजित
खाद्य प्राधिकरण की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की 21वीं बैठक दिनांक 26 मई, 2016 के 1030 बजे एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध 1** पर दी गई है। बैठक में उपस्थित न हो पाने वाले सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बैठक में पहली बार उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों और प्राधिकरण में हाल ही में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय कराया। तत्पश्चात् उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बैठक की कार्रवाई आरंभ करने और उसका संचालन करने का अनुरोध किया।

एजेंडा मद सं0 I :
27 जनवरी, 2016 को हुई पिछली (20वीं) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सी.ई.ओ. ने सूचित किया कि 20वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। केवल श्री सलीम वैल्जी और श्री ठांगलुरा के कुछ अवलोकन थे, जिन्हें कार्यवृत्त में शामिल कर लिया गया है। प्राधिकरण की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त को तदनुसार अनुमोदित कर और अपना लिया गया।

एजेंड मद सं0 II : खाद्य प्राधिकरण की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

सदस्यों ने प्राधिकरण की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की। एजेंडा मद सं0 20.33 के संबंध में श्री सलीम वैल्जी, सदस्य ने कहा कि इथाइलीन गैस के दुरुपयोग/गलत प्रयोग को रोकने के लिए इसके 100 ppm सांद्रण तक उपयोग के बारे में प्रक्रिया और प्रोटोकोल विहित करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण इस सम्मति को अंतिम अधिसूचना में शामिल करने पर सहमत हुई।

एजेंडा मद सं0 III : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

(i) सी.ई.ओ ने प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद की गई कार्रवाई और तत्पश्चात् हुए विभिन्न विकासों पर प्रकाश डाला।

(ii) सी.ई.ओ ने प्राधिकरण के सदस्यों को एफ.एस.एस.ए.आई को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया और सूचित किया कि प्राधिकरण में कई वरिष्ठ अधिकारियों और

तकनीकी तथा गैर-तकनीकी अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया है। कुछ अन्य अधिकारियों के कार्यभार शीघ्र ग्रहण करने की संभावना है। क्षमता-निर्माण, उपभोक्ता जागरूकता और कौशल विकास के जिन क्षेत्रों में संस्थागत विशेषज्ञता की कमी थी, उन क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए परामर्शदाता भी नियुक्त किए गए हैं।

(iii) आगे, सी.ई.ओ ने मानक निर्धारण, उपभोक्ता की पक्ष-पुष्टि, स्वच्छ स्ट्रीट फूड परियोजना, मोबाइल एप की शुरुआत, एम.एस.एस.ए.आई की 'आहार' प्रदर्शनी में भागीदारी, रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अभिनामित अधिकारियों के ओरियंटेशन सहित प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण, आयात गतिविधियों, कोडेक्स गतिविधियों और ई-कॉमर्स गतिविधियों के विनियमन की संक्षिप्त झलक प्रस्तुत की।

(iv) ब्रेड में पोटाशियम ब्रोमेट के उपयोग के मुद्दे के संबंध में सी.ई.ओ. ने सदस्यों को सूचित किया कि प्राधिकरण की पिछली बैठक ने खाद्य संयाजियों की सूची से पोटाशियम ब्रोमेट के विलोपन के बारे में वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को पहले ही अनुमोदित कर दिया था। यह बताया गया कि यह मामला अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन है।

(v) श्री ठांगलुरा, सदस्य ने प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और सुझाव दिया कि देश भर में, विशेषकर राज्यों की राजधानियों में खास तौर से पूर्वोत्तर राज्यों में, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव से सहमति प्रकट की और कहा कि इन पहलों के लिए बजट आबंटन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल 'कुशल भारत परियोजना' के अंतर्गत आबंटित राशियों से करना होगा। यह भी कहा गया कि ऐसी वित्तीय सहायता लेने के लिए राज्यों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जिसके लिए एफ.एस.एस.ए.आई हर संभव सहायता देगी।

एजेंडा मद सं0 21.1

(1) मानक निर्धारण और पुनरीक्षा -

खाद्य मानकों का अंतिम अधसूचना के लिए अनुमोदन

- **(i) मांस और मांस उत्पादों के सूक्ष्मजैविक मानक;**
- **(ii) दूध और दुग्ध उत्पादों के सूक्ष्मजैविक मानक;**
- **(iii) कैफीनयोजित पेय**

उपरोक्त मद पर चर्चा के समय कुछ सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

(i) सुश्री मीतू कपूर, सदस्य ने ताजा, शीतित और हिमशीतित मांस के प्रसंस्करण से संबंधित स्वच्छता का मुद्दा उठाया और प्रस्ताव किया कि शीतित मांस के सूक्ष्मजैविक मानकों को ताजा मांस के सूक्ष्मजैविक मानकों के समनुरूप बनाया जाए। विस्तृत चर्चा के बाद

प्राधिकरण शीतित और ताजा मांस के सूक्ष्मजैविक मानकों को समनुरूप बनाने पर सहमत हुई।

(ii) सुश्री मीतू कपूर, सदस्य ने दूध और दुग्ध उत्पाद के सूक्ष्मजैविक मानक बनाने के लिए प्राधिकरण के प्रयासों की सरहाना की। तथापि, उन्होंने व सुश्री श्रेया पांडेय, सदस्य ने पनीर और आइसक्रीम श्रेणियों के लिए प्रसंस्करण संबंधी स्वच्छता के मानदंडों पर चिंता जताई और सुझाव दिया कि इन दोनों उत्पादों के लिए अधिकतम अनुमत कॉलिफॉर्म जीवाणुओं की संख्या कम की जाए, क्योंकि उद्योग के लिए प्रस्तावित मानकों का अनुपालन करना कठिन हो सकता है। ये मानक सुरक्षा से संबंधित होने के कारण प्राधिकरण ने विस्तृत चर्चा के बाद मानकों में संशोधन न करने का निर्णय लिया परंतु उद्योग को इन मानकों के अनुपालन के लिए वह एक वर्ष की अवधि देने पर सहमत हुई।

(iii) कैफीनयोजित पेयों के संबंध में प्राधिकरण को बताया गया कि इस विनियम को प्राधिकरण द्वारा विगत में पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था। यह बताया गया कि इस उत्पाद की सुरक्षा के बारे में जताई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी वैज्ञानिक पैनल/समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई और कैफीन की सुरक्षित सीमा पर उपलब्ध साहित्य के आधार पर पैनल ने अधिकतम अनुमत सीमा 320 से 300 ppm करने का प्रस्ताव किया।

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और उपरोक्त तीनों उत्पाद श्रेणियों के लिए उपरोक्त संशोधनों के अनुसार अंतिम अधिसूचनाओं का अनुमोदन किया।

(2) खाद्य मानकों का निम्नलिखित की अधिसूचनाओं के लिए अनुमोदन:

(क) मौजूदा मानकों का पुनरीक्षण

(i) दालचीनी और तेजपात के मानकों में मानदंडों की सीमाओं को शामिल करना,

(ii) पौष्टित आटा/मैदा;

(iii) साबूदाना;

(iv) "अलसी तेल" के मानकों का "तीसी/अलसी तेल" के रूप में पुनर्नामन;

(v) "तिलहन का तेल अथवा सरसों का तेल - अल्प-इरुसिक अम्ल" के मानक में संपादकीय संशोधन;

(vi) कोको बटर;

(vii) पाम तेल और पाम की गुठली का तेल;

(viii) गैर-एल्कोहलीय कार्बोनेटित पेय;

(ix) कार्बोनेटित फल पेय अथवा फ्रूट ड्रिंक;

(x) मानव उपभोग से इतर जल-आधारित उत्पादों पर लेबलिंग उपबंध।

मौजूदा मानकों में पुनरीक्षण के लिए उपर्युक्त प्रस्तावों पर चर्चा के समय सदस्यों के निम्नलिखित अवलोकन थे:

क) सुश्री श्रेया पांडेय ने कहा कि आटा/मैदा के पौष्टिकीकरण के लिए लौह और विटामिन बी-कंप्लैक्स की प्रस्तावित उच्च मात्राएँ विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के प्रतिकूल हैं। इस मुद्दे की जाँच करने पर सहमति हुई। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कोई रेंज निर्धारित करने की बजाय लौह और विटामिन बी. कंप्लैक्स की सीमा-विशेष निर्धारित की जाए, जिस पर सहमति नहीं हुई।

ख) सुश्री श्रेया पांडेय ने सुझाव दिया कि गैर-एल्कोहलीय, गैर-कार्बोनेटित पेय को प्रस्तावित एक मानक अर्थात् पेय (गैर-एल्कोहलीय) के अंतर्गत रखने की अपेक्षा इसके लिए अलग मानक बनाया जाए, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और तदनुसार मानव उपभोग से इतर जल-आधारित उत्पादों की लेबलिंग को छोड़कर मौजूदा मानकों के पुनरीक्षण की मद का अनुमोदन किया, क्योंकि मानव उपभोग से इतर जल-आधारित उत्पाद एफ.एस.एस.ए.आई के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इस मद को वापस ले लिया गया और इस मामले को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को उसके अपने स्तर पर निर्णय लेने हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।

(ख) नए मानक

(i) वैनिला;

(ii) नारियल दूध;

(iii) नारियल की मलाई;

(iv) शुष्कित खुमानी;

(v) कोको की फलियाँ;

(vi) सुपारी;

(vii) पेस्टीसाइडों की एम.आर.एल तय करना;

(viii) कोडेक्स मानकों का अंगीकरण;

(ix) डूरम गेहूँ का मैदा;

(x) बाजरे का आटा;

(xi) चावल का पौष्टिकीकरण;

(xii) किनोआ;

(xiii) इन्सटैंट नूडल और सीजनिंग (नूडलों और पास्ता के लिए);

(xiv) शुद्ध नारियल का तेल;

(xv) मूँगफली बटर;

(xvi) साबूदाने में HCN की सीमाएँ तय करना;

(xvii) श्रेणी 14.2 (एल्कोहल-मुक्त और अल्प-एल्कोहलीय समतुल्य पदार्थों सहित एल्कोहलीय पेय) में उपयोग के लिए अतिरिक्त संयोजी पदार्थों/एन्जाइमों/प्रसंस्करण सहायकों का अनुमोदन; और

(xviii) खाद्य संयोजी पदार्थों के लिए बी.आई.एस के 46 मानकों का अंगीकरण।

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और ऊपर प्रस्तावित नए मानकों के बारे में वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

(3) विविध:-

(क) वैज्ञानिक समिति/पैनलों के सदस्यों के चयन के लिए मूल्यांकन समिति का गठन;

(i) सलाहकार (मानक) ने प्राधिकरण के सदस्यों को वैज्ञानिक समिति/पैनलों के सदस्यों के चयन के लिए प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति की स्थिति के बारे में अवगत कराया। यह भी सूचित किया गया कि अब तक विभिन्न वैज्ञानिक पैनलों/समिति में सदस्यता के लिए लगभग 400 विशेषज्ञों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ii) वैज्ञानिक समिति/पैनलों के सदस्यों के चयन के लिए मूल्यांकन समिति के गठन के लिए निम्नलिखित की सदस्यता वाली तीन-सदस्यीय उप-समिति बनाई गई -

क) डॉ. जी. एस. टुटेजा;

ख) डॉ. (सुश्री) ललिता गौडा; और

ग) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित किया जाने वाला एफ.एस.एस.ए.आई का एक प्रतिनिधि।

(iii) उपर्युक्त समिति मूल्यांकन समिति के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगी और अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करेगी, जिन्हें खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुमति से अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ख) नूडलों और पास्ताओं की सीजनिंग के लिए सुवासवर्धक के रूप में मोनोसोडियम ग्लुटामेट के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण (दिनांक 30.03.2016)

प्राधिकरण ने सूचना को नोट किया और की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया।

(ग) मानकों को क्रियात्मक बनाना

प्राधिकरण ने सूचना को नोट किया और की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया।

(घ) "पशुओं, कुक्कुट, मत्स्य से तैयार खाद्यों और प्रक्रमित खाद्यों में पेस्टीसाइडों, पशु औषधियों और एंटी बायोटिकों के अधिकतम अवशिष्ट स्तर तय करने" के बारे में कार्यशाला

प्राधिकरण ने एजेंडा की मद को नोट किया।

(ङ) खाद्य सुरक्षा और मानक (अमानकीकृत खाद्य की मानकीकरण-पूर्व अनुमति और लाइसेंसिंग) विनियम, 2016 (मसौदा अधिसूचना)

प्राधिकरण ने एजेंडा मद पर विचार करके उसका सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया। सी.ई.ओ ने सभी सदस्यों को अनुरोध किया कि यदि उनकी इस मसौदा विनियम पर कोई सम्मति हो तो वे उसे प्राधिकरण को 7 दिनों के अंदर भेज दें, जिसके बाद विनियम को मसौदा अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा और विनियम के अंतिमन की प्रक्रिया के दौरान उसे क्रियात्मक बना दिया जाएगा।

एजेंडा मद सं0 21.2 -

कोडेक्स कक्ष की गतिविधियों की पुनरीक्षा

(1) एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा एशिया के लिए कोडेक्स समन्वयन समिति (सी.सी.एशिया) के 20वें सत्र का आयोजन;

(2) क्षमता-निर्माण गतिविधियों के लिए कोडेक्स ट्रस्ट फंड से सहायता के लिए भूटान, नेपाल और भारत द्वारा संयुक्त आवेदन;

(3) प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद भारत की कोडेक्स समिति की बैठकों में भागीदारी।

प्राधिकरण ने सूचना के लिए उपरोक्त गतिविधियों को नोट किया।

एजेंडा मद सं0 21.3 -

(1) एफ.एस.एम.एस के लिए नए प्रभाग का सृजन

प्राधिकरण ने एजेंडा मद को नोट करके उसका अनुमोदन किया।

(2) रेस्टोरेंटों में एफ.एस.एम.एस के क्रियान्वयन का ढाँचा;

(3) धार्मिक स्थानों में एफ.एस.एम.एस के क्रियान्वयन का ढाँचा;

(4) सरकारी कैंटीनों में एफ.एस.एम.एस के क्रियान्वयन का ढाँचा;

(5) एफ.एस.एम.एस ऑडिट के लिए एजेंसियों/परामर्शदाताओं का पैनलीकरण

सदस्यों ने एजेंडे की मदों को नोट किया और उन्हें प्राधिकरण को अपनी सम्मति/मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया। सुश्री मीतू कपूर, सदस्य ने सी.आई.आई के पास जी.एच.पी/जी.एम.पी के बारे में उपलब्ध सूचना एफ.एस.एस.ए.आई के साथ साझा करने इच्छा व्यक्त की। सुश्री अनुराधा प्रसाद, सदस्य ने सूचित किया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में आईएसओ 22000 (एफ.एस.एम.एस) प्रमाणन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने की योजना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न खाद्य स्थापनाओं को सहायता दी जाती है। मंत्रालय ने एफ.एस.एस.ए.आई से खाद्य कराबारियों द्वारा एफ.एस.एम.एस के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी के बारे में सूचना मांगी है। सी.ई.ओ ने सूचित किया कि एफ.एस.एम.एस के लिए कोई निश्चित/मानकीकृत संयंत्र और मशीनरी नहीं है और एफ.बी.ओ के प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाना है। तथापि, सी.ई.ओ ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और एफ.बी.ओ के उपयोग के लिए

भिन्न-भिन्न प्रकार के कारोबारों के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी तथा सिविल और विद्युतीय कार्यों की निदर्शी सूची बनाने पर सहमति व्यक्त की।

एजेंडा मद सं0 21.4 -

खाद्य परीक्षण, निगरानी और जोखिम आकलन

(1) देश में खाद्य परीक्षण ईको-सिस्टम का उन्नन;

सदस्यों ने एजेंडा मद को नोट किया। श्री ठांगलुरा, सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए निधि की अपर्याप्तता पर चिंता जताई और प्राधिकरण को राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए विनियम बनाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों की गतिविधियों का विनियमन केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। तथापि, राज्य/सार्वजनिक प्रयोगशालाओं के उन्नयन/सशक्तीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निधियाँ प्राधिकरण के पास उनकी उपलब्धता के अध्यधीन दी जा सकती हैं। इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय भी लिया गया।

(2) एफ.एस.एस.ए.आई प्रत्यायन - 16 प्रयोगशालाएँ;

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अनुसार मौजूदा मानदंडों का संकलन;

प्राधिकरण ने इन एजेंडा मदों को नोट किया।

(4) जोखिम आकलन कक्ष का सृजन

प्राधिकरण ने जोखिम आकलन कक्ष के सृजन पर विचार करके उसका अनुमोदन किया। डॉ. जी. एस. टुटेजा ने प्राधिकरण की इस पहल की सराहना की।

(5) राष्ट्रीय दुग्ध सर्वे, 2016;

(6) भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से पैकेजबंदी सामग्री से खाद्य के रासायनिक संदूषण पर अध्ययन

प्राधिकरण ने इन एजेंडा मदों को नोट किया और इनका अनुमोदन किया।

एजेंडा मद सं0 21.5 -

लाइसेंसिंग, पंजीकरण और प्रवर्तन

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधन;

प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया। सदस्यों को जून, 2016 में होने वाली केंद्रीय सलाहकार समिति की अगली बैठक के बारे में सूचित किया गया। यह आशा की गई कि राज्य सरकारें तब तक अपनी सम्मतियाँ दे देंगी, जिससे विनियम को सी.ए.सी द्वारा भी अनुमोदित किया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि सदस्य अपनी सम्मतियाँ 7 दिनों के अंदर दे दें और

इन सम्मतियों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सम्मतियों को शामिल करने के बाद विनियमों को अंतिमित किया जा सकेगा। इस तथ्य के मद्दे नजर कि प्रस्तावित संशोधनों से प्रक्रियाएँ सरल बन जाएँगी, विनियम के बनते ही अंतिम अधिसूचना की कार्रवाई जारी रखते हुए उसे क्रियात्मक रूप देने का निर्णय लिया गया।

(2) कॉमन सर्विस सेंटर के मंच का उपयोग करने वाले एफ.बी.ओ का पंजीकरण - विशेष प्रयोजन साधन (सी.एस.सी - एस.पी.वी);

(3) यूनिट-संचालित कैंटीन (यू.आर.सी) को एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकर से मुक्ति (आदेश दिनांक 15.01.2016);

(4) पोषण सामग्रियों, खाद्य पूरकों और स्वास्थ्य पूरकों के लिए प्रवर्तन गतिविधियाँ (आदेश दिनांक 30.03.2016);

(5) पैकेजबंद पेय जल के अप्राधिकृत निर्माण और विक्रय पर प्रवर्तन गतिविधियाँ (आदेश दिनांक 27.04.2016);

प्राधिकरण ने इन एजेंडा मदों को नोट कर इनका अनुमोदन किया।

(6) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य वापसी प्रक्रिया) विनियम, 2016 (अंतिम अधिसूचना);

सुश्री मीतू कपूर, सदस्य ने इस बात पर टिप्पणी की अब प्रस्तुत अंतिमित विनियम दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित मसौदा विनियमों से पूर्णत: भिन्न हैं। प्रत्युत्तर में सी.ई.ओ ने सदस्यों को सम्मतियाँ देने का अनुरोध किया, जिससे अंतिम विनियमों की 15 दिनों के अंदर पुन: जाँच की जा सके। उसके बाद उनका अध्यक्ष महोदय के स्तर पर अंतिमत: अनुमोदन किया जा सकेगा।

(7) केंद्रीय सलाहकार समिति की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त (सूचना के लिए)

प्राधिकरण ने एजेंडा मद की सामग्री को नोट किया।

एजेंडा मद सं0 21.6 -

प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

(1) विनियमात्मक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण नीति

प्राधिकरण ने प्रस्तावित प्रशिक्षण ढाँचे के सामान्य सिद्धांतों पर विचार किया और उनका अनुमोदन किया। डॉ. जी. एस. टुटेजा, सदस्य ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की जाए। आगे, श्री मनोज जोशी, सदस्य ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, अभिनामित अधिकारियों और प्राधिकृत अधिकारियों के विनियमात्मक स्टाफ के परिचय प्रशिक्षण की अवधि (20-40 दिन) पर चिंता जताई और कहा कि राज्य सरकारों के लिए अपने अधिकारियों को 20-40 दिनों के लिए स्टेशन से बाहर रखना कठिन हो सकता है। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि परिचय प्रशिक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहचानी गई

संस्था में आयोजित किया जाएगा। इन मुद्दों पर निर्णय नीति/दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देते समय लिया जाएगा।

(2) स्वच्छ स्ट्रीट फूड परियोजना

प्राधिकरण ने एजेंडा मद की सामग्री को नोट किया। डॉ. जी. एस. टुटेजा, सदस्य ने एफ.एस.एस.ए.आई को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वच्छ स्ट्रीट फूड परियोजना के लिए आई.सी.एम.आर को सहयोगी बनाने का अनुरोध किया। श्री सलीम वैल्जी ने भी कहा कि यह परियोजना गोआ राज्य के लिए भी चलाई जा सकती है।

(3) आई. ई. सी. योजना की पुनरीक्षा

प्राधिकरण ने एजेंडा मद का अनुमोदन किया।

(4) स्कूलों में पोषण, खाद्य सुरक्षा की योजना

प्राधिकरण ने एजेंडा की मद की सामग्री को नोट किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पहल को राज्य सरकारों के साथ एक साथ उठाया जा सकता है क्योकि कुछ सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए सक्रिय हो सकती हैं। आगे, श्री ठांगलुरा, सदस्य ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी स्वास्थ्यकर खाद्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर में अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि प्रारंभ में यह योजना कम उम्र के छात्रों पर केंद्रित है और इसे बाद में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जा सकता है।

एजेंडा मद सं0 21.7 -

अनुसंधान एवं विकास

(1) आर. एंड डी. और एफ.एस.एस.ए.आई के विकास में सहायता की योजना पर अपडेट

प्राधिकरण ने एजेंडा मद को सूचना के लिए नोट किया।

(2) भारत के पारंपरिक खाद्य नुस्खे

(i) सुश्री श्रेया पांडेय, सदस्य ने खाद्य उत्पादों के भौगोलिक संसूचक (जी.आई) स्टेटस प्राप्त करने का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कारोबार के प्रयोजन के लिए जी.आई स्टेटस प्राप्त करना बहुत लंबी और बोझिल प्रक्रिया है और यह प्राधिकरण के कार्य-क्षेत्र में नहीं आती।

(ii) डॉ. (सुश्री) ललिता गौड़ा, सदस्य ने प्राधिकरण को सी.एस.आई.आर-सी.एफ.टी.आर.आई द्वारा तैयार किए किए लगभग 2400 भारतीय पारंपरिक आहारों के नुस्खों वाले संग्रह और इसकी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्धता के बारे में बताया।

इन अवलोकनों के साथ प्राधिकरण ने प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया।

एजेंडा मद सं0 21.8

आई.टी पहलें - (i) डिसास्टर रिकवरी सेंटर और बिजनेस कंटिन्यूटी साइट; (ii) मौजूदा एप्लीकेशन और डैटा सेंटर विस्तार; (iii) मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ करना; (iv) एकीकृत खाद्‌य सुरक्षा और मानक ई-गवर्नेंस सिस्टम।

प्राधिकरण ने एजेंडा मद को सूचनार्थ नोट किया।

एजेंडा मद सं0 21.9 -

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में अपडेट

प्राधिकरण ने सूचनार्थ एजेंडा मद को नोट किया।

एजेंडा मद सं0 21.10 -

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा मद

(1) किसी जाँच के परिणाम सूचित करने की आचार संहिता

प्राधिकरण की बैठक में एजेंडा मद पर विचार नहीं किया गया।

(2) खाद्‌य सुरक्षा और मानक (पौष्टित खाद्‌य) विनियम, 2016

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विशेष आंमंत्रिति ने प्रस्ताव की झलक प्रस्तुत की और मूल आहारों के अनिवार्य पौष्टिकीकरण के बारे में खाद्‌य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों के संयुक्त पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रत्युत्तर में अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि एफ.एस.एस.ए.आई में किसी भी तकनीकी मामले पर विचार करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति के माध्यम से पहले ही एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके अनुसार प्राधिकरण द्‌वारा उचित मानक तैयार किए जाएँगे। आगे, सदस्यों को अपनी सम्मतियाँ 7 दिनों के अंदर भेजने का अनुरोध किया गया, जिससे प्रस्तावित विनियमों को मसौदा अधिसूचना के लिए अंतिम रूप दिया जा सके।

अपने समापन वक्तव्य में सी.ई.ओ ने सूचित किया कि दिनांक 23.08.2016 को खाद्‌य विधान का एक दशक पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर खाद्‌य प्राधिकरण का कोई गतिविधि आयोजित करने का विचार है। इस संदर्भ में सदस्यों को खाद्‌य क्षेत्र से संबंधित लघु आलेखों सहित अपने सुझाव देने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय ने यही सहयोग प्राधिकरण के पूर्व सदस्यों से लेने का भी अनुरोध किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय और सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

हस्ता/-	हस्ता/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

अनुबंध-1

भागीदारों की सूची

क. प्राधिकरण के सदस्य

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. डॉ. रीता वशिष्ठ, अपर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली;
5. श्री पी. वी. रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण विभाग;
6. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय;
7. श्री मनोज जोशी, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय;
8. श्री जे. बालाजी, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, असम सरकार;
9. डॉ. जी. एस. टुटेजा, निदेशक, मरु औषध अनुसंधान केंद्र (डीएमआरसी), नई दिल्ली;
10. डॉ. (सुश्री) ललिता रामकृष्ण गौडा, मुख्य वैज्ञानिक, प्रोटीन रसायन एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सी.एफ.टी.आर.आई, मैसूर, कर्नाटक;
11. श्री सलीम ए. वैल्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ;
12. श्री पी. वी. नरसिंह राव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़;
13. श्री के. एस. पी. वी. पवन कुमार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असम;
14. श्री सुखविंदर सिंह, अभिनामित अधिकारी, चंडीगढ़;
15. डॉ. ए. आर. शर्मा, सी.एम.डी, मेसर्स रिसेला हेल्थ फूड्स लिमिटेड, विलेज मनवाला, सैरों रोड, धुरी, संगरूर, पंजाब;
16. सुश्री श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन;
17. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सी.आई.आई;
18. श्री ठांगलुरा, मिजोरम कन्ज्यूमर्स यूनियन, ललाट चैंबर;

ख. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
3. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)
4. श्री बिमल दुबे, निदेशक (आयात)
5. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (पी.ए.)
6. सुश्री सुनीति टुटेजा, निदेशक (एफ.एस.एम.एस)
7. डॉ. धीर सिंह, संयुक्त निदेशक (मानक)

8. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन/विधि)
9. श्री आर. के. गुप्ता, प्रमुख (क्यू. ए.)
10. डॉ. ए. के. शर्मा, परामार्शदाता
11. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
12. डॉ. जे. लीविस, परामर्शदाता
13. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम)
14. श्री एस. अनूप, सहायक निदेशक (प्रवर्तन)
15. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक iv (I)
16. श्री राणुम डबास, वैज्ञानिक iv (I)
17. सुश्री मल्लिका तनेजा, सहायक निदेशक (आई.ई.सी)
18. सुश्री पायल, वरिष्ठ परामर्शदाता (आई.टी.)
19. सुश्री हिना यादव, परामर्शदाता (एफ.एस.एम.एस.)

ग. विशेष आमंत्रिति

1. डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय;

2. श्री आर. पी. पंत, निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

- : -